भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3919
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्य निष्पादन

3919. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत विशेषकर राजस्थान के दौसा जिले में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में शामिल किए गए कुल कृषि क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए प्रीमियम का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के योगदान का प्रतिशत क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान और दौसा जिले के किसानों को कितना मुआवजा दिया गया और उनसे कितना प्रीमियम वसूला गया;

(घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विशेषकर राजस्थान में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो क्या किसान की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं और इस संबंध में कोई आकलन किया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्र का राज्यवार विवरण तथा राजस्थान के दौसा जिले का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएमएफबीवाई के तहत एक्चुरियल/बोली प्रीमियम दरें लगायी जाती हैं। पूरे देश में मौसम के लिए किसानों से बेहद कम प्रीमियम दर लगायी जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। एक्चुरियल प्रीमियम का शेष हिस्सा, पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से), जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है, को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है ।

इसके अलावा, स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश में मानक पीएमएफबीवाई के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल अर्थात् कप और कैप मॉडल (80:110), कप और कैप मॉडल (60:130) और लाभ और नुकसान साझाकरण मॉडल हैं, जिसके तहत एक निश्चित सीमा से कम दावों

के मामले में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा राज्य के ट्रेजरी में वापस चला जाएगा। राज्यों को इनमें से किसी भी एक मॉडल को मुख्य स्कीम के रूप में चुनने की छूट दी गई है।

28.02.2025 तक 32,476 करोड़ रुपये के किसान प्रीमियम के विरुद्ध स्कीम के प्रारंभ वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 तक 1979 लाख किसान आवेदनों को 1,73,938 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है। राजस्थान के दौसा जिले में 2019-20 से 2023-24 तक 5.84 करोड़ रुपये के किसान प्रीमियम के विरुद्ध 5 लाख किसान आवेदनों को 9.36 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) : बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। स्कीम के उचित निष्पादन के लिए स्कीम के प्रचालन दिशानिर्देशों में प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

हालांकि अधिकांश दावों का निपटान, स्कीम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया जाता है, फिर भी बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को त्रुटिपूर्ण/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न किए जाने, भुगतान में देरी और दावों के कम भुगतान; उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती न करना आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्कीम के अंतर्गत स्थापित स्तरीकृत शिकायत निवारण/विवाद समाधान तंत्र के अनुसार अधिकांश शिकायतों का उचित ढंग से समाधान किया गया है।

चूंकि स्कीम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए, बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को हल करने के लिए स्कीम के संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र यथा; जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है और जनवरी, 2024 में लॉन्च की गई है। एक एकल अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों को हल करने की समयसीमा भी निर्धारित की गई है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को एकीकृत मंच पर हितधारकों की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

केआरपीएच की स्थापना के बाद से, कुल 70 लाख कॉलों पर ध्यान दिया गया है, जिनमें से 36.44 लाख ई-टिकट जारी किए गए किए गए और 36.16 लाख ई-टिकटों का निपटान किया गया। इस तरह स्कीम के तहत शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार 99% ई-टिकटों का निपटान किया गया है।

अनुबंध

पीएमएफबीवाई के तहत 2019-20 से 2023-24 तक कवर किए गए क्षेत्र का वर्षवार विवरण (खरीफ और रबी दोनों सीजन सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)					
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**कुल**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.008
आंध्र प्रदेश	20.06	-	-	35.75	41.03	96.84
असम	5.70	10.77	5.58	3.15	4.20	29.41
छत्तीसगढ	24.32	24.52	22.98	23.26	24.18	119.25
गोवा	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
गुजरात	29.44	-	-	-	-	29.44
हरियाणा	22.50	18.87	16.19	16.00	6.91	80.48
हिमाचल प्रदेश	65.09	30.08	40.83	42.66	39.41	218.07
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	0.42	0.44	1.25	2.10
झारखंड	6.45	-	-	-	-	6.45
कर्नाटक	21.06	15.97	17.28	22.88	22.87	100.07
केरल	0.37	0.44	0.51	0.69	0.74	2.75
मध्य प्रदेश	117.14	129.76	116.17	90.13	89.27	542.47
महाराष्ट्र	79.24	68.12	59.08	65.22	160.38	432.03
मणिपुर	0.03	-	0.02	0.03	0.04	0.12
मेघालय	0.00	0.00	-	0.00	0.15	0.16
ओडिशा	18.72	11.89	10.16	9.27	16.09	66.14
पुदुचेरी	0.09	0.08	0.14	0.12	0.13	0.56
राजस्थान	98.28	113.53	107.10	106.82	103.32	529.05
सिक्किम	0.000	0.000	0.003	0.006	0.004	0.013
तमिलनाडु	14.24	17.20	15.65	15.40	13.90	76.40
तेलंगाना	11.35	-	-	-	-	11.35
त्रिपुरा	0.06	0.38	0.52	0.69	0.90	2.54
उत्तर प्रदेश	36.77	31.60	29.51	29.72	25.05	152.66
उत्तराखंड	1.14	9.86	9.60	38.86	55.85	115.31
कुल (अखिल भारतीय)	**572.04**	**483.09**	**451.75**	**501.12**	**605.68**	**2,613.68**

ज़िला	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)					
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**Total**
दौसा	***1.02***	***0.99***	***0.59***	***0.42***	***0.39***	***3.41***

- ***- कार्यान्वित नहीं किया गया***
- ***स्रोत – एनसीआईपी***

*****